10/06/22 पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 15/06/22 को पेश हो।

15/06/22 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों
के वकील उपस्थित। बहस सुनी गयी
आदेश अलग से लिखवाया जाकर
खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली निर्णय सुना होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार **आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या :– 92/2020

प्रार्थीगण

1. रामाराम पुत्र पीथाराम
2. भूराराम पुत्र चेनाराम
3. भारताराम पुत्र रूपाराम
4. जबराराम पुत्र मंगलाराम
5. भंवराराम पुत्र बुधाराम
   जाति मेगवाल निवासी भालीखाल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मेघाराम पुत्र पाताराम
2. तेजाराम पुत्र पाताराम
3. बुधाराम पुत्र पाताराम
4. ठाकराराम पुत्र पाताराम
5. रामाराम पुत्र पाताराम
6. वींजाराम पुत्र पाताराम
7. नानजीराम पुत्र पाताराम
   जाति मेगवाल निवासी मोडावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. शाखा प्रबन्धक बा.स.भू.वि. बैंक शाखा बालोतरा
9. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14/06/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 का खसरा नम्बर 72/1 रकबा 1–08 बीघा, प्रार्थी संख्या 2 का खसरा नम्बर 72/3 रकबा 1–08 बीघा, प्रार्थी संख्या हैं, प्रार्थी संख्या 3 का खसरा नम्बर 72/4 रकबा 1–08 बीघा, प्रार्थी संख्या 4 का खसरा नम्बर 72/5 रकबा 1–08 बीघा, प्राीि संख्या 5 का खसरा नम्बर 72/6 रकबा 1–09 बीघा का मौजा मोडावास पटवार क्षेत्र खुडाला तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अलग–अलग बेचान दस्तावेज के जरिये पूर्वाधिकारी छाताराम पुत्र ईशराराम से रकबा क्रमशः 1–11, 1–12, 1–12, 1–12, 1–12 बीघा भूमि क्रय की गई थी। तत्पश्चात रामजी का गोल [illegible] जाने वाली मेघा हाईवे को चौडा करने पर प्रार्थी[illegible] 0–04, 0–04, 0–03 बीघा भूमि मेघा हाईवे [illegible] के बाद क्रमशः 1–08, 1–08, 1–08, 1–08, 1–08, 1–09 बीघा भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की खातेदारी में शेष रही। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी छाताराम व उनके भाई पाता एवं गोरखाराम, तुलछाराम पि0 गजाराम के नाम से संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 72 का आया हुआ था, जिसका आपस में बंटवाडा कर लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी